उत्तर प्रदेश सरकार,

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ , उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग(प्रथम संशोधन) नियमावली- 2016 के नियम 17- सीधी भर्ती की प्रक्रिया के उप नियम (ग) के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु प्रक्रिया का प्रकाशन

पत्र संख्या: पीआरपीबी-दो-1(17)2017 दिनांक सितम्बर 01 2017

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्ष हेतु प्रक्रिया

पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) , पुलिस सहाक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को विनिश्चित किया जायेगा तथा उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

अभिलेखों की संवीक्षा

1) अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, .जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें ।
   - क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलेक्टर अध्यक्ष होगा;
   - ख) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक;
   - ग) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी ।
2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा ।
3) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बोर्ड, किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है । इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेगें ।
4) संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त उल्लिखित समिति किसी अन्य राजकीय/कर्मचारी की सहायता ले सकती है ।

1) **पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-**

   (क) ऊँचाई

   (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 163 सेन्टीमीटर है ।

   (दो) अनुसूचित जन जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यनूतम ऊँचाई 156 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा ।

टिप्पणी:- न्यनूतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है ।

2) **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-**

(क) ऊँचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है ।

(दो) अनुसूचित जन जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यनूतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम ।

3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता हे । ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिये बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुन: कराया जायेगा । ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुन: कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में 'असफल' पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जयेगा एवं इस सम्बन्ध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी ।

<u>सामान्य अनुदेश:-</u>

1. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थति हों । ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगें, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है ।
2. यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में परीक्षा संचालन हेतु गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है । समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा । अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा । अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निधारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा ।
3. परीक्षा में अन्तिम रूप से असफल घोषित किये गये अभ्यर्थी को, किसी भी आधार पर , कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा पुन: परीक्षा के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।
4. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों की सूचना के लिये परीक्षण स्थल के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा ।

1/9/17

अपर सचिव,भर्ती,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।